

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर
(पीठारीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत पनोरिया)

राजस्व आवेदन सं. 323 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी खानु पुत्र श्री वरजांगा बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी खानु पुत्र श्री वरजांगा निवासी पनोरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का पनोरिया, राजस्व गांव खवाला के खाता संख्या 27 के खसरा संख्या 831/260 रकबा 16.5760 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम जमाबन्दी सवत् 2074-77, में उनका नाम खाना पुत्र वरजांगा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम खाना पुत्र वरजांगा के स्थान पर खानु पुत्र वरजांगा है एवं पटवार हल्का फागलिया राजस्व गांव हेमावास के खाता संख्या 33 के खसरा संख्या 106, 118, 61 रकबा क्रमशः 13.4274 हैक्टेयर किस्म बा.दो, रकबा 10.7646 हैक्टेयर, किस्म बा.सो. रकबा 0.3318 हैक्टेयर, किस्म बा.सोयम जमाबन्दी सवत् 2074-77, में उनका नाम खाना पुत्र श्री वरजांगा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, जबकि उनका शुद्ध नाम खाना पुत्र श्री वरजांगा के स्थान पर खानु पुत्र श्री वरजांगा है। इस तरह उनका नाम खाना पुत्र श्री वरजांगा के स्थान पर खानु पुत्र श्री वरजांगा दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 02.10.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी खानु पुत्र श्री वरजांगा का पटवार हल्का पनोरिया, राजस्व गांव खवाला के खाता संख्या 27 के खसरा संख्या 831/260 रकबा 16.5760 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम जमाबन्दी सवत् 2074-77, में उनका नाम खाना पुत्र वरजांगा है, एवं पटवार हल्का फागलिया राजस्व गांव हेमावास के खाता संख्या 33 के खसरा संख्या 106, 118, 61 रकबा क्रमशः 13.4274 हैक्टेयर किस्म बा.दो, रकबा 10.7646 हैक्टेयर, किस्म बा.सो. रकबा 0.3318 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम में प्रार्थी का नाम खाना पुत्र श्री वरजांगा के स्थान पर खानु पुत्र श्री वरजांगा है तथा इस तरह उनका नाम खाना पुत्र श्री वरजांगा के स्थान पर खानु पुत्र श्री वरजांगा शुद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में कराना पत्र न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।



क्रमांक:- 1388-90

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी खानु पुत्र श्री वरजांगा, निवासी पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।



(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
(पीठारीन अधिकारी)
(SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सेड़वा
दिनांक : 28/10/2025

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा